

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 1310/2015)

(संस्थित दिनांक :- 21/12/15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. मुनेश सिंह पुत्र जय सिंह परिहार उम्र 22 वर्ष

निवासी :- ग्राम लालपुरा, थाना-अमायन, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 07/11/2016 को घोषित)

01. आरोपी मुनेश सिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं 338, धारा 146/196 एवं 134/179 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत भागीरथ को टक्कर मारकर उपहति एवं आहत दामोदर को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उसने उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष में मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मारकर भागीरथ एवं दामोदर को उपहति कारित करने की रिपोर्ट उसी दिनांक को फरियादी गनेश राम द्वारा थाना मौ में मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर, थाना मौ में उक्त वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 332/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत दामोदर की एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग का उल्लेख

होने पर आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 338 एवं आरोपी मुनेश द्वारा उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं देने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाएं जाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 134/179 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी मुनेश सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी गनेशराम एवं आहतगण दामोदर एवं भागीरथ के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त मुनेश के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. एवं धारा 146/196 एवं 134/179 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी एवं आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मुनेश ने दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी?
03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?
04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. आहत दामोदर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/10/2016 से लगभग दो साल पहले की शाम पाँच-छः बजे की ग्राम खेरिया चांदन के पास बेहट रोड़ की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय वह भागीरथ के साथ मोटर साईकिल से मौ जा रहा था, उसी समय मौ की ओर से आ रहे एक मोटर साईकिल चालक ने उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह एवं भागीरथ गिर गये और घायल हो गये और दुर्घटनाकारित करने वाला मोटर साईकिल चालक अपनी मोटर साईकिल को लेकर भाग गया था। उसके बाद दुर्घटनास्थल पर पुलिस वाले आ गये थे, जो उन्हें ईलाज के लिए मौ चिकित्सालय ले गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने फोन लगाकर अपने फूफा गणेश को हॉस्पिटल बुला लिया था, उनके द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की गई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी वह व्यक्ति नहीं है, जिसने अपनी मोटर साईकिल से उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मारी थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी दामोदर अ.सा.02 ने आरोपी मुनेश द्वारा दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं देने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आहत भागीरथ अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी मुनेश द्वारा दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं देने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. अभियोजन द्वारा इस वावत् कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी ने दिनांक : 29/09/2014 की शाम लगभग 06:00 बजे बेहट रोड़ स्थित ग्राम खेरिया चांदन में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन के चालक होते हुए भी उक्त वाहन के दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

10. अभियोजन आरोपी मुनेश के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं, धारा 146/196 एवं 134/179 मोटर यान अधिनियम का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है।

परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 भा.द.सं, धारा 146/196 एवं 134/179 मोटर यान अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.जी./1685 उसके पंजीकृत स्वामी मुनेश मिर्धा के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद